न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :: सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 236 / 16

सहीराम बनाम द्वारका आदि

दावाः बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती,
व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र बाबत वाद अबैट

ऐडवोकेट प्रार्थी :–श्री चंद्रकांत शर्मा
ऐडवोकेट अप्रार्थी :–श्री सुभाष चंद्र आर्य

आदेश

दिनांक 29.09.2025

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस कदर पेश किया कि उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी नं0 44 गोकलराम पुत्र पुराराम काक देहान्त 5–6 साल पहले हो चुका है। इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 7 फुलाराम का देहान्त भी 5–6 साल पहले हो चुका है। कानून वादी को किसी भी पक्षकार की मृत्यु के 90 दिन में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक होता है परन्तु वादी ने 5–6 साल बाद भी कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। इसलिए वादी का वाद अबैट हो चुका है। इसलिए वाद अबेट होने के कारण खारिज करने की कृपा करें।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद अबैट होने के आधार पर खारिज करने की कृपा करें।

वादी अधिवक्ता ने अनावेदक के प्रार्थना पत्र का जबाब नही पेश कर सीधे बहस करना जाहिर किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को गलत बताते हुये निवेदन किया कि कायम मुकाम बनाने के लिए वादी ने दो प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किये जा चुके है, आज एक प्रार्थना पत्र पेश किया है इससे पूर्व एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 डिले को कंडोन करने के लिए पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतकों के विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जावे। जबाब बहस में वकील प्रतिवादी नें कथन किया कि मृतकों की सुचना वादी अधिवक्ता को दे दी गई थी। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दावा अबैट पेश होने के बाद वादी की ओर से प्रार्थना पत्र ऑ0 22 नियम 04 पेश किया गया है। प्रतिवादी सं0 7 फूलाराम 3 वर्ष 2 माह पहले मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 44 गोकुल का चारा वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। जिसका प्रार्थना पत्र कायम मुकाम वादी की ओर से 04 वर्ष बाद पेश कियाहै। प्रतिवादी सं0 49 / शांति देवी का की मृत्यु के 5 वर्ष बाद कायम मुकाम पेश किया है। प्रा0 पत्र पेश करने के लिए सी0पी0सी0 में 90 दिवस का का प्रावधान है। लिमिटेशन निकलने के बाद देरी होने का कारण स्पष्ट रूप से अंकित नही किया गया है। दावा अबैट हो चुका है। अतः दावा खारिज किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादी की ओर से दिनांक 14.05.2025 को पेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 में पक्षकार प्रतिवादी सं0 07 फूलाराम की मृत्यु दिनांक 09.03.2022 को, प्रतिवादी सं0 44 गोकलराम की मृत्यु दिनांक 13.05.2021 को तथा प्रतिवादी सं0 49 शांति देवी की मृत्यु दिनांक 23.05.2020 को होना अंकित किया गया है। उक्त प्रतिवादीगणों की मृत्यु की वादी को जानकारी होने के बावजुद वादी की ओर से मृतक के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र कायम मुकाम काफी विलम्ब से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:28:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र में देरी से पेश करने का कोई स्पष्टीकरण पेश नही किया है ना ही [redacted] मियाद अबैटमेंट को निरस्त करवाने के लिए आवेदन पेश किया है। इसलिए अबेटमेंट के आधार पर वादी का वाद अबैट किया जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दावा अबैट स्वीकार किया जाकर दावा अबैट किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:28:16 IST
Reason: SelfAttested